पत्रांक संख्या – 14/डी0 एल0 ए0–(पावर सब स्टेशन)– अररिया– 139/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

भू–अर्जन शाखा

(अधिघोषणा)

पत्रांक – 2540/आर0, पटना, दिनांक – 23-10-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि अररिया जिला के रानीगंज अंचल अंतर्गत मौजा–बसैटी, थाना नं0–54 में बसैटी पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु बिहार, सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन लिया जाना अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषणा की जाती है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा बसैटी, थाना नं0 54 के भीतर भूमि के एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश **रकवा 0.60 एकड़** के बराबर होता है, जिसका प्लॉट स0 निम्नांकित है: –

भू–विवरण

खाता	खेसरा	रकवा एकड़ में
603	672 (अंश)	0.20
	671 (अंश)	0.29
849	670 (अंश)	0.11
कुल		**0.60** एकड़

चौहद्दी
उत्तर –खेसरा सं0 671, 672
दक्षिण : खेसरा सं0 671, 670
पूरब :– रानी बाँध (सड़क)
पश्चिम : खेसरा सं0 670

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा स्लेट, अन्य खनिज अथवा खानों की आवश्यता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3(क) (1) के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

समाहर्त्ता,
अररिया
27/10/13

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 2540/भू अर्जन, पटना दिनांक – 23-10-13

प्रतिलिपि निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिनमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप समाहर्त्ता, प्रभारी जिला गजट, अररिया समाहरणालय के जिला गजट के अलावे अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस–दस (10 10) प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता, अररिया/जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

23/10/13
सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।